Indian J. Soc. & Pol. 11 (01) : 131-132 : 2024 **ISSN : 2348-0084 (PRINT)**
(July-December 2023), 29 February 2024 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

वैश्विक राजनीति में संवैधानिक तत्वों की भूमिका

सरिता[1], प्रियदर्शिनी पुरोहित[2]

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवम् लोक प्रशासन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ,राजस्थान, भारत
[2]असिस्टेंट प्रोफेसर,राजनीति विज्ञान एवम् लोक प्रशासन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, भारत

ABSTRACT

'वैश्वीकरण' के दौर में संवैधानिक तत्वों की राजनीति में भूमिका को उजागर किया गया है। 'वैश्वीकरण' का मतलब जहाँ सारा विश्व एक ग्लोब के अन्तर्गत आता है। जहाँ पूरा विश्व मिलकर एक समाज बनाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य से वैश्वीकरण की धारणा नई नहीं है अनादि काल से यह विचार चला आ रहा है कि "वसुधैव कुटुम्बकम्–एक धरती. एक परिवार. एक भविष्य " पूरी धरती ही अपना परिवार है। वैश्वीकरण के आने से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा व्यापार की दृष्टि से खत्म कर दी गई। वैश्वीकरण के आगमन से देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। राजनीति में शासन करना तथा सही समय पर कार्य करना उचित माना जाता है। राजनीति का सम्बन्ध जनता से होता है तथा जनता के सामाजिक तथा आर्थिक स्तर को बनाए रखना ही राजनीति होता है। वैश्वीकरण के आने से राजनीति में बहुत बदलाव आया है। राजनीति में बदलाव आने से समाज की अर्थव्यवस्था में तथा संविधान दोनों में परिवर्तन हो रहा है। जैसे–जैसे एक समाज की अर्थव्यवस्था तथा राजनीति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है, संविधान में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। इस शोध पत्र का उद्देश्य वैश्वीकरण के माध्यम से राजनीति तथा संविधान के सम्बन्धों को परखना है कि राजनीति में बदलाव के साथ देश के संविधान में क्या–क्या बदलाव हुए हैं।

KEYWORDS: *वैश्वीकरण, संविधान, राजनीति में बदलाव, विदेश नीति,*

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। भारत अपने देश की विदेश नीति बनाते समय शान्ति, दूसरे देशों के साथ सन्धि, समझौते, अच्छे सम्बन्ध का ध्यान रखता है। भारत की विदेश नीति का अपने देश की राजनीति से बड़ा गहरा सम्बन्ध है। भारत की विदेश नीति में परिवर्तन 'वैश्वीकरण' के बाद हुआ तथा देश की राजनीति बदल गई। देश के संविधान में समय तथा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने की आवश्यकता को महसूस किया गया। वैश्वीकरण को 1990–1991 के दशक में भारत की राजनीति तथा विदेश नीति में देखा जा सकता है।

वैश्वीकरण को उस प्रक्रिया का नाम दिया जाता है जिसमें दुनिया भर की कम्पनी और देशों की सरकारों के बीच संधि और समझौते स्वीकृत है। वैश्वीकरण के आने से विदेश नीति की धारणा को बदला गया है। जिस तरीके से यह देशों तथा राजनयिकों द्वारा संचालित होती है। इस प्रक्रिया में मनुष्य तथा गैर मानवीय अंतर्राष्ट्रीय तथा पारसांस्कृतिक एकीकरण के परिणाम शामिल है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार ''भारत : वर्तमान में विश्व व्यापार का 2.7 था जो 2006 में 1.2 प्रतिशत घटा। भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण को 1991 में अपनाया गया था। भारत में 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था में कई सुधार किए गए। इन सुधारों में तीन अवयवों को शामिल किया गया था। जैसे वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण।

अर्थव्यवस्था की विकास की दर को बढ़ाना, उत्पादन इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना, प्राप्त लाभों का समायोजन करना आदि वैश्वीकरण के अन्तर्गत आता हैं। इन सुधारों के फलस्वरूप जहाँ विकास की दर 1951 से 1991 तक 4 प्रतिशत के वार्षिक औसत से बढ़ती रही थी वहीं 1991 के बाद यह 2002–03 को छोड़कर 5.5 प्रतिशत से अधिक रही। प्रति व्यक्ति आय पहले 2 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी परन्तु 1991 के बाद यह 3.5 प्रतिशत हो गई। 1990–91 में कृषि दर नीचे गिरी और सेवा क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। औद्योगिक विकास 1990–91 में 4 प्रतिशत के आस–पास का अब 9 प्रतिशत को पार कर गया है। वैश्वीकरण से समाज के विकास में वृद्धि तो हुई है परन्तु हम अपने गुणात्मक लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सकें। आज भी हमारा देश कई चुनौतियों से जूझ रहा है जैसे गरीबी, किसानों की मजबूर दशा, बेरोजगारी, मानव–पूँजी का निर्माण और ग्रामीण–विकास आदि। आज आवश्यकता है कि हम अपने समाज के चहुँमुखी विकास की तरफ ध्यान दे।

वैश्वीकरण में जनक के रूप में 'रॉबर्टसन' को जाना जाता है जिन्होंने 1992 में समाजशास्त्र में वैश्वीकरण का प्रयोग किया था वैश्वीकरण का उद्देश्य देशों में फैली आर्थिक असमानताओं को दूर करता है। आर्थिक असमानताओं को दूर करने से विकासशील देशों एवं अल्प विकसित देशों की श्रेणी में लाने में आसानी होती है। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए समाज में कुछ कारक पाए जाते है जैसे : तकनीकी ज्ञान का विस्तार, उदारीकरण की प्रक्रिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, विदेशी व्यापार में विस्तार, व्यापार एवं प्रशुल्क सम्बन्धी समस्या समझौता, गैट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आदि। वैश्वीकरण के वर्तमान स्वरूप को जहाँ हम स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्वस्तरीय पर रूपांतरण की प्रक्रिया मानते है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसके द्वारा पूरे विश्व

1: Corresponding Author

के लोग मिलकर एक समाज बनाते है और कार्य करते है। वैश्वीकरण को विद्वानों ने निम्न प्रकार परिभाषित किया है।

बराक ओबामा के अनुसार – ''वैश्वीकरण एक तथ्य है। प्रौद्योगिकी के कारण एक एकीकृत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के कारण परिवहन में परिवर्तन के कारण और हम उसके चारों ओर दीवार कर बना पाएंगे।

कोफी अन्नान के अनुसार – यह कहा गया है कि वैश्वीकरण के खिलाफ बहस करना गुरुत्वाकर्षण के नियमों के खिलाफ बहस करने जैसा है।

अमर्त्य सेन के अनुसार – वैश्वीकरण ने दुनिया को वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया है और कई लोगों को आर्थिक रूप सभी लाभान्वित किया है।

वैश्वीकरण के आने से सभी देशों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि के आधार पर आदि एक–दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया है। इसके आगमन से निगम और अंतर्राष्ट्रीय बाजार शक्तिशाली हो चुके हैं। वैश्वीकरण के आने से एकाधिकार का खतरा बढ़ा है। कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति आ गई है कुछ कंपनियों का वर्चस्व भी बढ़ा हैं। इससे भविष्य में समाज में असमानता पैदा हो सकती है। लोकतन्त्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव विरोध दायरे तक सीमित नहीं हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, विश्वास और धर्म की स्वतन्त्रता, नागरिक समुदाय, नागरिकता अधिकार, राज्य गतिविधि की परिसीमा, प्रेस की स्वतन्त्रता आदि है।

वैश्वीकरण का देश की विदेश नीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर बहुत प्रभाव देखने को मिला हैं। भारत ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के आधार पर अपनी नई आर्थिक नीति अपनाई। भारत द्वारा आर्थिक नीति और आर्थिक नीति में एक बड़ा बदलाव करने के बाद के 30 वर्षों में वैश्विक राजनीति में बहुत कुछ बदल गया। बदली हुई दुनिया में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए भारत ने जानबूझकर या मजबूरी में विदेश नीति में कुछ समायोजन किए है। भारत की विदेश नीति के कुछ मूल सिद्धांत अपरिवर्तित रहते है। हालांकि देश के हितों को प्राप्त करने के लिए समय–समय पर संशोधित किया जाता हैं।

वैश्वीकरण ने भारतीय संविधान पर भी प्रभाव डाला है और इसके कारण भारत के संविधान में संशोधन करने पड़े हैं। संविधान में कई ऐसे संशोधन किए गए है जिन्होंने देश की राजनीति पर प्रभाव डाला है जैसे :–

1. 88वॉ संविधान संशोधन अधिनियम (2003)–सेवाओं पर कर का प्रावधान

2.संविधान संशोधन अधिनियम (2011)–इस अधिनियम को 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसके द्वारा संविधान के भाग–तीन में अनुच्छेद 19 के खण्ड–(1) के उपखण्ड (ग) में या संघ के बाद या सहकारी समितियाँ शब्द जोड़ा गया है। भाग चार के अनुच्छेद 43(ख) जोड़ा गया है तथा भाग–9(क) के पश्चात् भाग 9(ख) जोड़ा गया। इनमें सहकारी समितियों के गठन, विनियम एवं विधि सम्बन्धी प्रावधान किए गए है।

3. 100वॉ संविधान संशोधन अधिनियम (2015)–1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई–भू–सीमा सन्धि के लिए 100वॉ संशोधन किया गया। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भू–भागों का आदान–प्रदान किया। समझौते के तहत बांग्लादेश ने भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई।

4. 101वॉ संविधान संशोधन अधिनियम (2018)–संविधान में संशोधन का जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) को जोड़ा गया था।

भारत में प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति के द्वारा पहले भी अपने राष्ट्रीय हितों के लिए विदेशी दौरे किए जाते थे परन्तु वैश्वीकरण के बाद दौरों की संख्या बढ़ गई है। दूसरे देश के नेता का भारत देश में आना, समझौते तथा सन्धियाँ करना यह सब वैश्वीकरण का परिणाम है जैसे हाल ही में भारत ने जी–20 की अध्यक्षता की है अब भारत देश बहुत सारे अन्तर्राष्ट्रीय समुदायों से जुड़ चुका है अपने देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए मजबूरी में लिया गया फैसला आज के समय में कुछ गुणकारी भी साबित हो रहा है परन्तु पूर्ण रूप से रही।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण ने भारतीय राजनीति, समाज, संविधान, विदेश नीति तथा लोगों के ऊपर क्या असर किया है इसी को जानने के लिए यह शोध पत्र लिखा गया हैं देश की राजनीति पर वैश्वीकरण का गहरा असर हुआ है। समाज में कहीं परिवर्तन हुए है तथा कहीं पर नहीं। जहाँ पर परिवर्तन हुए है देश के उस हिस्से में विकास देखने को मिलता है। देश की राजनीति में भी परिवर्तन हुआ है राजनीति के बदलते स्वरूप की वजह से भी संविधान में परिवर्तन देखने को मिला है। समय के साथ देश, समाज, राजनीति में परिवर्तन आना चाहिए। यह किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है।

REFERENCES

भारत सरकार के वेबसाइट, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, नई दिल्ली

गोयल, कमलेश. (2016). इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन द एज ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन ई0 एंड सी0 टेक्नोलॉजी,* पृ0– 32

सिहं, के0. (2009). *व्हाट इज़ रीस्ट्रेनीगं द प्रॉसेस ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन,* इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट रिव्यू, पृ0–41–42